न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–1, बून्दी (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : **विवेक शर्मा**

(जिला न्यायाधीध संवर्ग)

जमानत प्रार्थना पत्र सं0 : **115/2026**

(अभियोग संख्या–21/2026 अन्तर्गत धारा 281, 125, 303(2) बी.एन.एस. व धारा 4/21 एम.एम. आर.डी.एक्ट, पुलिस थाना लाखेरी, जिला–बून्दी)

1. सुरेन्द्र उर्फ गोलू पुत्र धन्नालाल, उम्र 22 वर्ष,
   निवासी–बसवाडा, पुलिस थाना–लाखेरी, जिला बून्दी (राजस्थान)

2. सुरेश पुत्र रामचरण, उम्र 32 वर्ष,
   निवासी–बसवाडा हाल–म.नं. 2/224, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, लाखेरी, पुलिस थाना–लाखेरी, जिला बून्दी (राजस्थान)

–प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

विरूद्ध

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, बून्दी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं.

उपस्थित :–

(1) श्री शिफाउल हक, विद्वान अधिवक्ता–प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से
(2) अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से

आ दे श **दिनांक : 18.03.2026**

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण सुरेन्द्र उर्फ गोलू व सुरेश की ओर से जमानत का यह द्वितीय आवेदन–पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत माननीय सेशन न्यायाधीश महोदय, बून्दी के न्यायालय में पेश किया गया, जो सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ, जो पुलिस थाना–लाखेरी, जिला–बून्दी के अभियोग संख्या 21/2026 अन्तर्गत धारा 281, 125, 303(2) बी.एन.एस. व धारा 4/21 एम.एम.आर.डी. एक्ट, से सम्बद्ध है।

2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है, उनकी ओर से प्रस्तुत धारा 480 बी.एन.एस.एस. के अधीन जमानत आवेदन पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाखेरी, जिला बून्दी द्वारा दिनांक 21.02.2026 को खारिज किया जा चुका है।

3. प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई तथा उभय पक्ष को सुना गया एवम् सम्बन्धित अनुसंधान पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

4. अभियोजन कहानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 06.02.2026 को परिवादी कैलाश सिंह, स.उ.नि. थाना लाखेरी, जिला बून्दी ने एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह मय जाब्ता राकेश कानि. 1169 व किशन कानि. 350 मय जीप सरकारी चालक राधेश्याम कानि. 682 के वास्ते अनुसंधान बॉक्स, लेपटोप प्रिन्टर मय चालान डायरी मय ब्रेथ्नालाईजर मय ड्रेगन लाईट के वास्ते अवैध कार्य चैकिंग स्पेशल माईनर एक्ट, एम.वी.एक्ट. एवं सायंकालीन गश्त हेतु दिनांक 05.02.26 को समय 6.31 पी.एम. पर रवाना हो कस्बा लाखेरी, नयापुरा, चुंगीनाका, बाटमलेव, रामधन चौराहा, विजयगेट, सुभाषसर्किल, सुखाडिया पार्क, कुवारीसती, शंकरपुरा, गणेशपुरा, भांड ग्वार, बालापुरा करता हुआ मेगा हाईवे बाईपास रेल्वे स्टेशन तिराहा पहुंचा, तभी एक महिन्द्रा डी.आई.575 ट्रेक्टर बरंग लाल का बिना नम्बरी मय ट्रोली बजरी भरी हुई के मेगा हाईवे रोड पर पापडी की तरफ से उसका चालक गफलत लापरवाहीपूर्वक लहराता हुआ तेज गति से आता हुआ दिखाई दिया, जिसे जाब्ते द्वारा हाथ का ईशारा देकर रोकने के संकेत दिया, किन्तु ट्रेक्टर का चालक दिये गये ईशारे की अवहेलना कर तेज गति व गफलत, लापरवाही पूर्वक वाहन को भगाकर ले जाने लगा। राज्य में सडक दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सडक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ बनाने के लिए पुलिस द्वारा चलाये जा रहे सडक सुरक्षा अभियान के दौरान एवं ट्रेक्टर चालक द्वारा मेगा हाईवे रोड पर तेज गति एंव उतावलेपन, खतरनाक तरीके से लहराते हुए वाहन चलाने से गंभीर दुर्घटना कारित कर मानव जीवन या दुसरो का वैयक्तिक क्षेम, संकटापन एंव जान माल का नुकसान पहुंचाने कि पूर्ण आशंका को मध्यनजर रखते हुए उक्त वाहन को रोकने का प्रयास किया गया तो उक्त बात को नजरअंदाज, अनसुना कर लगातार ट्रेक्टर को तेज गति में चलाता रहा, कुछ दूरी पर मेघा हाईवे रोड अर्जुन बिल्डिंग मटेरियल कि दुकान के सामने लाखेरी पहुंचा तो ट्रेक्टर के पीछे लगी ट्रोली जिसमे अवैध बजरी भरी हुई का दाहीने तरफ के पहिया का एक्सल टूटकर पहिया निकलकर अलग हो गया जिससे ट्रोली में भरी बजरी रोड पर बिखर गई, तभी हमराह जाब्ते मे से मोजुद राधेश्याम कानि. 682 द्वारा ट्रेक्टर चालक को सुरेन्द्र उर्फ गोलु पुत्र धन्ना लाल मीणा उम्र 22 साल निवासी बसवाडा पुलिस थाना लाखेरी जिला बून्दी के रुप में पहचाना। उसी समय सुरेश पुत्र रामचरण मीणा उम्र 38 साल निवासी बसवाडा थाना लाखेरी जिला बून्दी भी वहां पर आ गया। हमराह जाब्ता मेगा हाईवे रोड पर वाहनों के आवागमन के दौरान सडक दुर्घटना कि रोकथाम हेतु

आवागमन को एक साईड से डाईवर्ड करने लगे तभी अंधेरा का फायदा उठाकर सुरेन्द्र उर्फ गोलू व सुरेश दोनो ट्रोली का हुक टूट कर ट्रेक्टर अलग होने से रात्री समय 8.30 पीएम पर ट्रेक्टर महेन्द्रा डी.आई. 575 बरंग लाल बिना नम्बरी को भगाकर हाऊसिंग बोर्ड लाखेरी कि तरफ भाग गये, जिनका पीछा किया लेकिन मेगा हाईवे रोड पर आवागमन के साधनो की आड से गायब होने से तलाश उपरान्त भी कोई पता नहीं चला, बाद तलाश वापस ट्रोली के पास पहुंचे। जहां पर थानाधिकारी द्वारा सम्पुर्ण हालात उच्चाधिकारियो को निवेदन कर निर्देशानुशार मय जाप्ता राकेश कानि. 1169 व किशन कानि. 350 को विधिक कार्यवाही एंव सुरक्षार्थ छोडे जाने पर ट्रोली व रोड पर फेली हुई अवैध बजरी को साईड में करवाकर आवागमन सुचारु करवाया। मौके से खनिज अभियंता कोटा को जर्ये दुरमाष सुचना दी जाकर ट्रेक्टर ट्रोली में अवैध बजरी परिवहन व खतरनाक तरीके से वाहन चलाकर व रोड पर बिखेरी हुई बजरी के सम्बन्ध मे कार्यवाही हेतु तलब किया एवं रात्री सुरक्षार्थ मुकिम रहे। दिनांक 06.02.2026 को खनिज अभियंता कोटा मय टीम ने मौके पर उपस्थित आकर बिना रायल्टी, रवन्ना, टी.पी. व वैध अनुमति के अवैध बजरी परिवहन करने वाले साधन एंव चालक द्वारा मेगा हाईवे रोड पर बिखेरी हुई बजरी को जब्त करने के संबन्ध मे कार्यवाही कर उक्त जब्तशुदा ट्रोली मय अवैध खनिज बजरी को उसकी सुपुर्दगी में दिया। जिस पर उसके द्वारा हमराह जाप्ते कि मदद से वैकल्पिक व्यवस्था कर ट्रोली मय रोड पर फेली हुई अवैध बजरी को एकत्रित कर लाकर थाना परिसर में सुरक्षित रखवाया, इत्यादि।

5. उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर उक्त अभियोग पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अभी यह मामला अनुसंधानाधीन है।

6. दौराने बहस प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा है कि प्रार्थीगण ने पूर्व में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–102/2026 दिनांक 05.03.2026 को नोटप्रेस में खारिज करवा लिया था, इस प्रकार प्रार्थीगण का यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण ने कोई जुर्म नहीं किया है, उन्हें महज शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थीगण का उक्त जुर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है, उन्हें झूंठा फंसाया गया है। प्रकरण विचारण न्यायालय द्वारा विचारण किये जाने योग्य है, जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड का प्रावधान नहीं है। प्रार्थीगण की तफतीश में कोई आवश्यकता नहीं है तथा विचारण में काफी समय लगना सम्भव है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को यदि अधिक समय तक न्यायिक

अभिरक्षा में रखा गया तो उनके परिवार के भूखे मरने की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। प्रार्थीगण ग्राम बसवाडा व लाखेरी जिला बून्दी के स्थायी निवासी है, जहां से उनके फरार होने का कोई अन्देशा नहीं है। प्रार्थीगण आदेशानुसार जमानत मुचलके प्रस्तुत करने को तैयार हैं। उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रार्थीगण द्वारा ई–चालान के माध्यम से कम्पाउन्डिंग फीस 1,00,000/–रूपये एवम् अपराध दंड और शास्ति से प्राप्तिया राशि 26,800/–रूपये खनिज विभाग में जमा करवा दिये गये है। जिसकी रसीद फर्द के साथ पेश की जा रही है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया।

7. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए कथन किया है कि नेशनल ग्रीन टिंब्यूनल व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद आदेश के उल्लंघन में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा अवैध व्यापार करने के उद्देश्य से ट्रेक्टर ट्रोली में बजरी का परिवहन किया जा रहा था। अतः जमानत आवेदन खारिज किया जावे।

8. जबकि कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, कोटा के द्वारा आज न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के द्वारा कुल 1,26,800/–रूपये की राशि विभागीय मद में जमा हो चुकी है।

प्रार्थी/अभियुक्त **सुरेन्द्र उर्फ गोलू** की आपराधिक पृष्ठभूमि निम्न प्रकार हैः–

क्र.सं.	मुकदमा नम्बर	धारा	चार्जशीट	नाम थाना	विवरण
––निल––					

प्रार्थी/अभियुक्त **सुरेश** की आपराधिक पृष्ठभूमि निम्न प्रकार हैः–

क्र.सं.	मुकदमा नम्बर	धारा	नाम थाना	चार्जशीट नं.	विवरण
1	234/09	341,323,34 भा.द.सं.	लाखेरी	179/30.10.09	दोषसिद्ध
2	149/10	323,341,504,34 भा.द.सं.	लाखेरी	130/31.08.10	दोषसिद्ध
3	04/13	325,323,307,34 भा.दं.सं.	लाखेरी	35/28.02.13	–
4	40/14	19/54 एक्साईज एक्ट	लाखेरी	35/28.03.14	फैसल विड्रा
5	13/15	363,366ए,376 भा.द.सं. व 3,4 पोक्सो एक्ट	लाखेरी	103/02.08.16	दोषसिद्ध
6	174/18	379 भा.द.सं.	काप्रेन	167/30.09.18	–
7	531/18	143,342,323,365,452 भा.दं.सं.	अनन्तपुरा, कोटा	410/29.12.18	विचाराधीन
8	68/19	379 भा.द.सं.	देईखेडा	58/29.06.19	
9	11/21	341,323,325,308,34 भा.द.सं.	लाखेरी	44/25.03.21	विचाराधीन
10	108/24	323,342 भा.द.सं.	लाखेरी	92/31.05.24	विचाराधीन

11	61 / 24	379 भा.द.सं. व 4 / 21 एम.एम.आर.डी.एक्ट	लाखेरी	97 / 17.06.24	विचाराधीन
12	105 / 25	281, 106(1) बी.एन.एस. व3 / 181,146 / 196 एम. वी.एक्ट	लाखेरी	105 / 30.06.25	विचाराधीन

9. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया व अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया। अनुसंधान पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य / सामग्री के अवलोकन से व अब तक के अनुसंधान से प्रार्थीगण / अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथमदृष्टया धारा 281, 125, 303(2) बी.एन.एस. व धारा 4 / 21 एम.एम.आर.डी. एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण को अवैध खनन कर ट्रेक्टर ट्रोली में बजरी भरकर ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा मौके से खनिज अभियन्ता कोटा को जरिये दुरभाष सूचना दिये जाने पर उनके द्वारा बिना रॉयल्टी, रवन्ना, टी.पी. व वैध अनुमति के अवैध बजरी परिवहन करने वाले साधन एवं चालक द्वारा मेगा हाईवे रोड पर बिखरी हुई बजरी को जब्त करने की कार्यवाही की जाकर अर.एम.एम.सी.आर. 2017 के नियम 54 व 60 के अन्तर्गत अग्रिम विभागीय कार्यवाही तक थानाधिकारी की निगरानी में सुपुर्दगी पर देने व उनकी अनुमति के बिना वाहन को मुक्त नहीं करने बाबत् पत्र जारी किया गया था। परन्तु अब प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से कम्पाउन्ड फीस व अन्य राशि सहित कुल 1,26,800 / –रूपये की राशि खनिज विभाग में जमा करवाई जा चुकी है, जिसकी रसीद प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण दिनांक 20.02.2026 से पुलिस / न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। आरोपित अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही अन्वीक्षा योग्य है। अभी इस प्रकरण का शेष अनुसंधान पूर्ण होकर अन्वीक्षा में काफी समय लगना सम्भाव्य है। अतः अधिवक्ता अभियुक्त के तर्को के सापेक्ष उपर्युक्त परिस्थितियों में इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किये प्रार्थीगण / अभियुक्तगण को जमानत की सुविधा प्रदत्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

10. फलतः प्रार्थीगण / अभियुक्तगण सुरेन्द्र उर्फ गोलू व सुरेश की ओर से प्रस्तुत यह जमानत का द्वितीय आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीगण / अभियुक्तगण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाखेरी, जिला–बून्दी के पूर्णतः संतोषप्रद 50,000–50,000 / –रूपये का स्वयं का मुचलका एवं 25,000–25,000 / –रूपये की

दो–दो जमानतें पेश कर तस्दीक करवा दें तो उन्हें तुरन्त जमानत पर छोड़ दिया जावे।

(विवेक शर्मा)

अपर सेशन न्यायाधीश,
संख्या–1,बून्दी(राजस्थान)

11. आदेश आज दिनांक 18.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

SHOEB AHMED KHAN

Steno Gr.I "Authenticate document"
Digitally signed by SHOEB AHMED KHAN
Date: 2026.03.25 17:42:07 +0530

अपर सेशन न्यायाधीश,
संख्या–1,बून्दी(राजस्थान)

इस क्षेत्र में खनिज बजरी के अवैध खनन के अत्यधिक मामले सामने आ रहे है, अवैध बजरी खनन से न केवल पर्यावरण को अपूरणीय क्षति हो रही है, अपितु राज्य को भी रॉयल्टी, टैक्स एवं अन्य मदों में राजस्व की हानि हो रही है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्त सुरेश के विरूद्ध पूर्व के 12 प्रकरण दर्ज होना बताये गये है, जिनमें से उसे तीन प्रकरणों में दोषी करार दिया जा चुका है तथा एक प्रकरण इसी तरह के अपराध से व शेष अन्य अपराध की धाराओं से संबंधित रहे है जो विचाराधीन होना बताये गये है। प्रकरण अभी अनुसंधानाधीन है।

10. इस प्रकार विद्वान अपर लोक अभियोजक के तर्को सहित कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, कोटा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में के तथ्यों के सापेक्ष प्रकरण की उपर्युक्त परिस्थितियों में मामले की गम्भीरता के दृष्टिगत, इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर अन्य कोई मत व्यक्त किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ प्रदत्त किया जाना उचित नहीं होने से यह जमानत आवेदन पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य हैं।

11. फलतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण सुरेन्द्र उर्फ गोलू व सुरेश की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(विवेक शर्मा)
अपर सेशन न्यायाधीश,
संख्या–1,बून्दी(राजस्थान)

12. आदेश आज दिनांक को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर सेशन न्यायाधीश,
संख्या–1,बून्दी(राजस्थान)